



# छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2013 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 20 मार्च, 2013 (फाल्गुन 29, 1934)

समय 11:00 बजे दिन

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

- (1) श्री केदारनाथ कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 (क्रमांक 15 सन् 1996) की धारा 13 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 पटल पर रखेंगे.
- (2) श्री केदारनाथ कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 25 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 पटल पर रखेंगे.
- (3) श्री केदारनाथ कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 26 सन् 1995) की धारा 15 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 पटल पर रखेंगे.
- (4) श्री केदारनाथ कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 24 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का सप्तम् वार्षिकीय प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 पटल पर रखेंगे.

### 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

- (1) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, प्रदेश में महानदी पर बैराजों के निर्माण किये जाने में अनियमितता किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (2) श्री अमरजीत भगत, सदस्य, जिला-सूरजपुर, नवापारा में एस.ई.सी.एल. द्वारा संचालित खदान के प्रभावित किसानों को मुआवजे का भुगतान न दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

### 4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री राजू सिंह ठाकुर, सभापति, याचिका समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

## 5. याचिकाओं की प्रस्तुति

- (1) श्री दूजराम बौद्ध, सदस्य, पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बोरसी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,
- (2) श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, सदस्य, सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -
  - (i) उलखर के दर्री दलाल में स्टापडेम निर्माण करने,
  - (ii) ग्राम उच्चभिठ्ठी में हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,
  - (iii) मचलाडीह के पास लेलहर नाले में स्टापडेम निर्माण करने,
  - (iv) करपी से मौहापाली पहुंच मार्ग के पास पुलिया निर्माण करने,
  - (v) हलधरपाली नाले पर पुलिया निर्माण करने तथा
  - (vi) नवागांव 62 चैन से नहर के सर्विस बैंक पर कटेली तक सड़क निर्माण करने के संबंध में याचिकाएँ प्रस्तुत करेंगे.

## 6. शासकीय विधि विषयक कार्य

### निर्धारित समय

15 मिनट (1)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 4 सन् 2013) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

15 मिनट (2)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ विधान मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

15 मिनट (3)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 6 सन् 2013) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

15 मिनट (4)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 7 सन् 2013) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

15 मिनट (5)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 15 सन् 2013) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

निर्धारित समय

30 मिनट (6)

श्री रामविचार नेताम, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षण के अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 8 सन् 2013) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

1 घंटा (7)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 9 सन् 2013) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

## 7. नियम 52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा

श्री भोलाराम साहू, सदस्य, दिनांक 18 मार्च, 2013 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या-7 (क्रमांक-2634) के उत्तर से उद्भूत विषय पर चर्चा उठायेगे.

रायपुर

दिनांक 19 मार्च, 2013

देवेन्द्र वर्मा

प्रमुख सचिव.